




राजस्थान RAJASTHAN

इकरारनामा/ किरायानामा

U 970536



प्रथम प्रकाश नागर पुत्र श्री रामदयाल जी नागर आयु 35 वर्ष जाति धाकड़ निवासी गुरजेनी तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज0)

किरायेदार ...प्रथम पक्षकार

एवं

रामदयाल नागर पुत्र श्री नंद किशोर नागर आयु 55 वर्ष जाति धाकड़ निवासी गुरजेनी तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज0)

मालिकद्वितीय पक्षकार

के हैं।

जो कि प्रथम पक्षकार को एक कॉलेज संचालित करने के लिए प्रथम पक्षकार की एक समिति है जिसका नाम " शिवम तकनीकी शिक्षा समिति " है। परिसर की आवश्यकता होने के कारण द्वितीय पक्षकार के मेघा हाइवे चौराहा दहीखेडा रोड खानपुर स्थित पैमाईश 40X50 का प्लॉट पर दो मंजिला परिसर को निम्नलिखित शर्तों पर द्वितीय पक्षकार से किराये पर लेने का इकरार करता है जिससे दोनों पक्षकार पाबंद एवं बाध्य रहेंगे -

IDENTIFIED BY

यह कि उक्त परिसर का किराया रुपये 17500/- रुपये अक्षरे सतरह हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह रहेगा जो हर अंग्रेजी माह की एक तारीख से चालू होकर उसी माह की अन्तिम तारीख को समाप्त गाना जायेगा एवं 15 तारीख के पूर्व किराया अदा करना होगा।

यह कि किरायानामा दिनांक 22.03.2014 से लागू माना जायेगा और माह दिनांक 22.03.2029 तक केवल 15 साल के लिये मान्य माना जायेगा। यह कि द्वितीय पक्षकार से 15 तारीख से पूर्व किराया प्राप्त कर के कॉलेज के लेटर पेड पर हस्ताक्षर कर के देगा। इसके आगे की किरायेदारी दोनों पक्षों की सहमति से नये रूप में निर्धारित की जावेगी।

यह कि बिजली का खर्च निर्धारित किराये से अलग होगा जो मीटर के अनुसार देय होगा। पानी के लिये पानी की मोटर का प्रयोग करने की अनुमति होगी।

ATTESTED
ISHAQ MOHAMMED
NOTARY KOTA (RAJ.)
7-4-19

क. 9/4/19
34 MN
CP
998306432

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

यह कि किरायेदारी वाला परिसर प्रथम पक्षकार ने स्वयं के कॉलेज को संचालित के लिये किराये पर लिया है इसे वह कॉलेज और शैक्षणिक प्रयोजन हेतु प्रयोग में ले सकेगा इसके अलावा किसी अन्य प्रकार का व्यवसाय नहीं कर सकेगा। और दूसरे को भी व्यवसाय नहीं करने देगा।

यह कि उक्त परिसर का किराया प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अथवा समय पर जमा नहीं करवाने पर द्वितीय पक्षकार को परिसर खाली करवाने का अधिकार होगा।

यह कि प्रथम पक्षकार उक्त परिसर में कोई विस्फोटक सामग्री अथवा कोई आपत्तिजनक सामान नहीं रखेगा जिससे द्वितीय पक्षकार को कोई नुकसान पहुंचे और न ही ऐसा कोई कार्य करेंगा।

यह कि द्वितीय पक्षकार यदि प्रथम पक्षकार से उक्त परिसर खाली करवाना चाहेगा तो एक माह पूर्व नोटिस देकर खाली करवा सकेगा और इसी प्रकार यदि प्रथम पक्षकार उक्त मकान खाली करना चाहेगा तो द्वितीय पक्षकार को एक माह पूर्व सूचित कर परिसर को खाली कर देगा और उक्त परिसर को खाली करते समय स्वयं द्वितीय पक्षकार को उसी स्थिति में ही संभलायेगा जिस स्थिति में परिसर को प्राप्त किया था। अन्य किसी व्यक्ति को अथवा शिकमी किराये को उक्त परिसर नहीं संभलायेगा। किसी भी प्रकार की टूट-फूट के लिये प्रथम पक्षकार जिम्मेदार होगा।

यह कि प्रथम पक्षकार उक्त परिसर में वर्ष में कम से कम एक मूर्तबांधी निर्माण खर्च से रंगाई-पुताई करवायेगा इसका तमाम खर्चा प्रथम पक्षकार स्वयं-बहन करेगा, द्वितीय पक्षकार द्वारा नहीं किया जायेगा एवं छोटी मोटी टूटफूट मरम्मत टिन सेट निर्माण पार्टेशन आदि स्वयं के खर्च पर लगा सकेगा।

यह कि हर वर्ष पश्चात् किराये में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जावेगी यानि प्रथम पक्षकार किराये में प्रतिवर्ष 10 वर्ष की बढ़ोतरी करके किराया अदा करता रहेगा।

लिहाजा यह किरायानामा राजी खुशी पूर्ण होश हवास, बिना किसी नशे पते व बिना किसी दबाव के 100/- रुपये के स्टाम्प एवं एक सादा पेपर कुल दो किता पर स्वस्थ चित्त स्थिर बुद्धि से आलेखित कर दिया जो कि सनद रहे व समय पर काम आवे।

तहरीरी तारीख- 7-4-17
गवाह -

1.

2.

हस्ताक्षर किरायेदार-

हस्ताक्षर परिसर सेक्रेट्री-

